संख्या:729/2023/1995/35-4-2023/35-4099/93/2023

प्रेषक,

राम प्रीत राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चन्दौली/वाराणसी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 20 जुलाई, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृति कतिपय कार्यों का निरस्तीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद चन्दौली/वाराणसी में शासनादेश सं0-617/2023/1335/35-4-2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 09 कार्यों की रू0 502.87 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में रू0 251.42 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा स्वीकृत 09 कार्यों में निम्नलिखित 07 कायों को निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
	चन्दौली	**विधानसभा – पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय)**			
1.		ग्राम कम्हरिया में मगरू बिन्द के घर से बौरी माइनर (मछरिया) पुल तक सड़क निर्माण कार्य।	1.110	62.64	31.32
		विधानसभा– सकलडीहा			
2.		ग्राम सहरोई में ब्राम्हण बस्ती से होते हुए चौहान बस्ती दान का पुर तक सड़क निर्माण का कार्य।	0.520	17.18	8.59
		विधानसभा- सैयदराजा			
3.		एन0एच0–97 सैयदराजा जमानियां कन्दवा थाने से पश्चिम कम्हरिया होते हुए ठाकुरबाडी तक सड़क निर्माण कार्य।	2.500	135.76	67.88
4.		ग्राम खोर में नहर पर स्थित पुल से तुलसी आश्रम तक सड़क निर्माण का कार्य।	1.480	83.26	41.63
		योग:	**5.61**	**298.84**	**149.42**
	वाराणसी	**विधानसभा - शिवपुर**			
5.		रामपुर पिच रोड से काली जी मंदिर तक लेपन कार्य।	0.670	30.50	15.25
		विधानसभा – अजगरा	0	0	0
6.		बर्थरा खुर्द से अजाव तक सड़क का नवनिर्माण कार्य।	0.600	39.16	19.58
7.		सुल्तानीपुर महाराजगंज से राजभर बस्ती होते हुए रामपुर पिच रोड तक सड़क निर्माण का कार्य।	0.810	31.75	15.87
		योग:	**2.08**	**101.41**	**50.70**
		महायोग:	**7.69**	**400.25**	**200.12**

1. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0-617/2023/1335/35-4-2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा उपर्युक्त कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि नियमानुसार राजकोष के सुसंगत खाते में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति सहित सूचना नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2023, इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:729/2023/1995(1)/35-4-2023/35-4099/93/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली/वाराणसी।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चन्दौली/वाराणसी।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चन्दौली/वाराणसी।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, चन्दौली/वाराणसी।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।